

फर्द अहकाम

6/21

नवरत्न

बनाम

क-हेमालाल

संख्या / वर्ष

6/21

/20

सिनाम आशा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

पत्रावली वास्तु अहितम बहस
के दिनांक 15/9/21 की प्रतिलिपि

उपरोक्त अधिकारी
जयपुर जिला (सांगानेर)

15/9/21

पत्रावली प्रतिलिपि व कुलाम आरोपित उपरोक्त
अप्रामाणिकता की ओर से प्राप्त प्रतिलिपि
विषयवस्तु में विशेष विवरण का प्रतिलिपि
को शामिल किया गया। प्रामाणिकता
अहितमता प्रतिलिपि, प्राप्त प्रतिलिपि विषयवस्तु
पर बहस हुई। अप्रामाणिकता अहितमता
को बहस का संकलन किया गया। प्रामाणिकता
अहितमता में बहस के दौरान प्रामाणिकता
को अप्रामाणिकता के विषय प्रतिलिपि
विषयवस्तु में प्रस्तुत किया गया है प्रामाणिकता
व अप्रामाणिकता के मध्य किसी प्रकार का
विशेष विवरण नहीं हुआ है। बिना
विशेष विवरण दिए ही अप्रामाणिकता प्रतिलिपि
अहितमता पर सीमा निर्धारण करते हैं तथा
अहितमता की प्रतिलिपि अहितमता पर
आज्ञा है। अप्रामाणिकता संख्या 2, 5, 6, 14, 18
की प्रतिलिपि प्रामाणिकता की प्रतिलिपि संख्या 1, 3, 11, 13,
15 व 16 व वही प्रतिलिपि प्रामाणिकता की प्रतिलिपि के
प्रतिलिपि खंड प्रामाणिकता पर प्रतिलिपि प्रामाणिकता
को प्रामाणिकता प्रतिलिपि प्रामाणिकता पर प्रतिलिपि प्रामाणिकता
को प्रतिलिपि प्रामाणिकता प्रतिलिपि प्रामाणिकता पर प्रतिलिपि प्रामाणिकता
1, 3, 11, 13, 15 व 16 को प्रामाणिकता प्रतिलिपि प्रामाणिकता
को प्रामाणिकता प्रतिलिपि प्रामाणिकता पर प्रतिलिपि प्रामाणिकता
को प्रामाणिकता प्रतिलिपि प्रामाणिकता पर प्रतिलिपि प्रामाणिकता
को प्रामाणिकता प्रतिलिपि प्रामाणिकता पर प्रतिलिपि प्रामाणिकता

मंतलाल

बनाम

क. हे. मा. मा. ल.

दिनांक / वर्ष

6 / 20 21

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। केवल एक विभाजन का अनुलोप-नाशक के नहीं-योजना किसी विशेष परिस्थिति में अनुलोप के साथ प्रस्तुत नहीं करे परन्तु उ दस्तगत प्रकार में प्राप्ति में ना तो विभाजन का अनुलोप-नाशक ना ही नये विशेषपरिस्थिति में प्राप्ति में परन्तु भी नहीं की है। तथा उपरोक्त परिस्थिति में ना तो प्राप्ति का प्रमाण दस्तावेज आसला है और ना ही सुविधा का अनुलोप है। ना ही प्राप्ति को नये अनुलोप राशि देने की संभावना है। अतः प्राप्ति का प्राप्ति अन्वय विद्यमान राशि सिद्ध किया जाता है। प्राप्ति के नये अनुलोप के साथ दस्तावेज रहे।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर डिवीजन (संगानेर)</p>	